



Neutral Citation No. - 2026:AHC:132681

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21889 वर्ष 2026

अमरनाथ यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	राज किशोर मिश्र
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 122 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 2(बी)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिराहबंद और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें गैंग चार्ट में उल्लिखित एक ही आधार मामले के आधार पर प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक उक्त मामले में जमानत पर है और आधार मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का आठ अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है और उन आठ मामलों में से सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक 2 जून 2026 से जेल में हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का प्रतिवाद नहीं कर सके।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन किया।
6. आवेदक को गिराव चार्ट में उल्लिखित एक ही आधार मामले में जमानत मिल गई है। वह 02.06.2026 से जेल में है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।
8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मामले अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक अमरनाथ यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणदोष पर एक राय के रूप में नहीं माना जाना जाएगा।

30 जून, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)